दस रुपये TEN RUPEES

रु.10 Rs.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PR[illegible]

78AA 736674

NOTARIAL NOTARIAL

BEFORE THE RETURNING OFFICER

FROM Moradabad Bijnor Local Authority CONSTITUENCY.

AFFIDAVIT

I RASHED AHMED son / daughter/wife of SRI JAMEER AHMED

Aged 54 years, resident of Moh. Shakeyan South Mehtor Distt Bijnor

do hereby solemnly affirm and declair as follows :-

(1) That I have filled my nomination paper(s) for the above election.

(2) That in connection with mu candidature for the above election, I am submitting herewith the information as asked for by the Returning Officer under Section 8 of the Representation of the People Act 1951, in the prescribed proforma.

(3) That the information furnished in the enclosed proforma is true to the best of my knowledge and beleif and that nothing material has been concealed there from.

Place :- Moradabad

Date :- 19/12/09

DEPONENT

VERIFIED BEFORE ME

(SIGNATURE OF VERIFYING AUTHORITY WITH SEAL)

Rasheed Ahmed

[illegible] affirmed before me by [illegible] deponent who is identified by Sri/Smt Hari Prakash [illegible] 19/12/2009 [illegible] of Sri/Smt [illegible] I have satisfied my self by examining the deponent that he/she under stood the contents of the affidavit and the same has been read out explained by me Recd Rs. 15 [illegible] fees)

I Identified

Pradeep Kumar [illegible] 19/12/09

Notary/Advocate

MORADABAD

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

78AA 736675

NOTARIAL NOTARIAL

स्टाम्प संलग्न है

प्ररूप–26

(नियम 4 के देखिए)

मुरादाबाद बिजनौर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधान परिषद (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ–पत्र

मैं रशीद अहमद पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री उमीर अहमद आयु 54 वर्ष, जो मौ० शेखान दक्षिणी नहटौर जि० बिजनौर का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :–

1– मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ, जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं 1548/06, 3646/06, 1578/01, 3931/08

(ii) पुलिस थाना (थाने) नहटौर, धामपुर जिला (जिले) बिजनौर राज्य उ०प्र०

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है 436, 504, 506, 323/504, 120, 467, 468, 471 व 506

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई प्रथम दो मुकदमे ए०सी०जे०एम० (प्रथम) मे तथा शेष दो सी०जे०एम० कोर्ट बिजनौर।

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे अभी आरोप विरचित नही है

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/है प्रथम न० पर अंकित वाद की कार्यवाही उ०प्र० उच्च न्यायालय इला० ने रोक लगायी

2– मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास

(यदि अभिसाक्षी उपयुर्क्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा):

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएँ X

(ii) न्यायालय जिसने दण्डित किया है X

(iii) पुलिस थाना (थाने) X जिला/(जिले) X राज्य X

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराए) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है अभी चार्ज नहीं लगा है (1) 436, 504, 506 IPC (2) 323/504/506 IPC (3) 420, 467, 468, 471 IPC (4) 420, 467, 468 IPC

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था / सुनाए गए थे .... लागू नहीं

(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके गए हैं .... जी नहीं

स्थान : मुरादाबाद

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

तारीख : 19/12/09

सत्यापन

मैं ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूं कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गई है ।

कचहरी मुरादाबाद स्थान पर आज तारीख 19/12/09 को सत्यापित किया ।

Rasheed Ahmad

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

[illegible] Prakash Adv. 19/12/2009

टिप्पणी :— इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिए जाए ।]

1 अधिसूचना सं० का०आ० 935 (अ), तारीख 3 सितम्बर 2002 द्वारा अंतःस्थापित

Pradeep Kumar [illegible]
19/12/2009

Identified
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10 भारत सत्यमेव जयते TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PR

78AA 736675

NOTARIAL NOTARIAL

स्टाम्प संलग्न है

प्ररूप–26

(नियम 4 क देखिए)

मुरादाबाद बिजनौर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधान परिषद (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ–पत्र

मैं रशीद अहमद पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री जमीर अहमद आयु 54 वर्ष, जो मौ० शेरखान सराय नहटौर जि० बिजनौर का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :–

1– मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ, जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं ।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं 1548/06, 3646/06, 1578/01, 3931/08

(ii) पुलिस थाना (थाने) नहटौर, धामपुर जिला (जिले) बिजनौर राज्य उ०प्र०

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है 436, 504, 506 / 323/504/506

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई 420, 467, 468, 471 आदि प्रथम दो मुकदमे ए०सी०जे०एम० (प्रथम) में तथा शेष दो सी०जे०एम० कोर्ट बिजनौर।

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे अभी आरोप विरचित नहीं है

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/ है प्रथम नं० पर अंकित वाद की कार्यवाही मा० उच्च न्यायालय इला० ने रोक लगायी

2– मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास

(यदि अभिसाक्षी उपयुर्क्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा):

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएँ X X

(ii) न्यायालय जिसने दण्डित किया है X X

(iii) पुलिस थाना (थाने) X जिला/(जिले) X राज्य X

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है ① 436, 504, 506 ② 323/504/506 IPC ③ 420, 467, 468, 471 ④ 420, 467, 468 IPC अभी चार्ज नहीं लगा है

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था / सुनाए गए थे लागू नहीं

(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके गए हैं लागू नहीं

स्थान : मुरादाबाद

तारीख : 19/12/09

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूं कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गई है ।

कचहरी मुरादाबाद स्थान पर आज तारीख 19/12/09 को सत्यापित किया

Rasheed Ahmad
Hum Prakash Adv 19/12/2009

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :— इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काटं दिए जाए ।]

1. अधिसूचना सं० का०आ० 935 (अ), तारीख 3 सितम्बर 2002 द्वारा अंतःस्थापित

Pradeep Kumar
Notary Advocate
19/12/2009